

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर - 273012
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

सं. जेड/13/वी.4/2022/03/00457/पी.सी.

दिनांक: 09.05.2022

- | | |
|---|--|
| (1) प्रमुकाधि एवं प्रमुख वित्त सलाहकार
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर | (2) मंडल रेल प्रबन्धक
पूउरे/लखनऊ, इज्जतनगर
एवं वाराणसी । |
| (3) मुख्य कारखाना प्रबन्धक
यांत्रिक/सिगनल एवं पुल कारखाना
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर | (4) मुख्य कारखाना प्रबन्धक
इज्जतनगर । |

विषय :- अधिवर्षिता तिथि से अधिक रेल सेवा किये जाने के संबंध में।

मुकाप्र/यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर कार्यालय में एक सतर्कता निवारक जाचें में पाया गया कि एक कर्मचारी जिनकी अधिवर्षिता तिथि 31.03.2020 थी, परन्तु कर्मचारी द्वारा दिनांक 09.03.2022 तक रेल सेवा में कार्य करते हुए वेतन एवं भत्तों का भुगतान प्राप्त करता रहा । इस सम्बन्ध में निम्न पद्धति सुधार की संस्तुति की जाती है :-

1. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समस्त कर्मचारी के जन्म तिथि के सम्बन्ध में आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उसके सेवा अभिलेख में संलग्न है तथा उसका सत्यापन सम्बन्धित संस्था से करा लिया गया है ।
2. प्रत्येक शाखा अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की जन्म तिथि जो कर्मचारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है तथा सत्यापित है, वही कर्मचारी के सेवा अभिलेख में दर्ज है तथा I-PAS System में फीड किया गया है ।
3. I-PAS System में फीड सभी कर्मचारियों के जन्म तिथि का सत्यापन, उनके सेवा अभिलेख में उपलब्ध तथा सत्यापित जन्म तिथि प्रमाण-पत्र से एक ड्राइव चलाकर तत्काल एक निश्चित समय तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि कोई अन्य कर्मचारी अपरी वास्तविक सेवनिवृत्ति तिथि से अधिक समय तक रेल सेवा में न बना रहे ।
4. I-PAS System से निकाले गये सेवनिवृत्ति सम्बन्धी सूची को मात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए अपितु इसका सत्यापन कर्मचारी के सर्विस फोल्डर/सेवा अभिलेख/शैक्षणिक प्रमाण पत्र से अनिवार्य रूप से करने के बाद ही सेवनिवृत्ति सूची जारी किया जाना चाहिए । साथ ही साथ सत्यापन करने वाले सम्बन्धित डीलर/कर्याधी/अधिकारी का पूरा नाम व पदनाम अनिवार्य रूप से सत्यापन के कार्यालय प्रति पर दर्ज होना चाहिए ताकि भविष्य में सेवनिवृत्ति सूची में अंकित जन्म तिथि के सम्बन्ध में कोई विसंगति पायी जाती है तो जवाब देही तय की जा सके ।

अतः अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करना चाहें कि उक्त पद्धति सुधार का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हों ।

उपरोक्त पर वरुमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।


(जय प्रकाश)
वसताधि/लेखा
कृते महाप्रबन्ध/सतर्कता